The time and labour involved in collecting the required data will not therefore be commensurate with the result to be achieved. The number of monument attendants at present posted at the various protected monuments in the whole country is, however, 789.

Legal Implication of "Gheraos"

2394. **Shri K. N. Pandey:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have been able to define the legal implication of 'Gheraos'; and

(b) if so, the legal opinion obtained in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Gherao has come to signify the keeping of a person or group of persons under wrongful confinement. This is essentially a problem affecting law and order which is the responsibility of the State Governments. Its legal implications will depend upon the facts of each case.

गोआ में गिरजाघरों की मरम्मत

2395. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की मुक्ति के समय से लेकर 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में गोआ में गिरजा घरों की मरम्मत करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी रकम दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसी प्रकार की सहायता अन्य धर्मों के धार्मिक स्थानों की मरम्मत करने के लिये भी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो यह राशि कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने सीधे तौर पर गोआ, दमन तथा दियू में गिरजों या अन्य धार्मिक संस्थानों की मरम्मत के लिये कोई राशि खर्च नहीं की है किन्तु स्थानीय सरकार ने गिरजों तथा मन्दिरों की मरम्मत पर कुछ राशि व्यय की है ।

(ग) गिरजा घरों पर :
69,033.67 रुपये ।
मन्दिरों पर 15,226 11 रुपये ।

दिल्ली जेल में नजरबन्द चीनी लोग

2396. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली की जेल में नजरबन्द कुछ चीनियों ने विभिन्न आधारों पर अपनी रिहाई के लिये आवेदन पत्र दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, उन्होंने अपने आवेदन पत्र किन तारीखों को दिये है तथा सरकार ने प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन आवेदन कर्त्ताओं ने अपनी रिहाई किन आधारों पर मांगी है तथा सरकार ने किस आधार पर इन आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली में विदेशी अधिनियम, 1946 (न कि विदेशी पंजीकरण अधिनियम) के अधीन

नजरबन्द दो चीनी राष्ट्रिकों ने ऐसे आवेदन दिये थे।

उन में से एक ने 12-10-1966 को पैरोल पर छोड़े जाने के लिये आवेदन दिया था और पुन. 19-11-1966 को डायबिटीज के इलाज के लिये उन्हें 6 फरवरी 1967 को तीन माह के लिये पैरोल पर रिहा किया गया। उन्होंने पुन 21-3-1967 को सदाचरण के आधार पर स्थायी रिहाई के लिये आवेदन दिया। उन्हे सदाचरण के आधार पर स्थायी तौर पर रिहा कर दिया गया क्योंकि उन्हें लगातार गिरफ्तार रखना आवश्यक नही समझा गया।

दूसरे नजरबन्द चीनी ने 23-12-66 को रिहाई के लिये आवेदन दिया ताकि वे अपने तथा अपने परिवार के साथ चीन जाने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था कर सकें। उनकी रिहाई की प्रार्थना को सुरक्षा के आधार पर स्वीकार नही किया गया। किन्तु उन्हें इस बात की सूचना दे दी गई है कि यदि उनका परिवार अथवा अन्य कोई उन के चीन जाने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर सकें तो सरकार को उनके इस देश से जाने में कोई आपत्ति न होगी।

Expenditure on Telephones at the Residences of Government Officials in the Capital

2397. Shrimati Savitri Shyam: Will the Minister of **Communications** be pleased to state the amount spent on the Telephone bills in respect of the telephones installed at the residences of the Union Government Officers residing in Delhi and New Delhi during the years 1964-65 and 1965-66?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): No separate accounts in respect of telephones provided to Government Officers at their residences in Delhi and New Delhi are maintained and, as such, the information is not available

Dutta's Central Kajore Colliery

2398. Shri P. C. Adichan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Assistant Labour Commissioner (Central), Raniganj has given an award regarding the payment of dues to the workers of Dutta's Central Kajore Colliery as per the settlement dated the 16th March, 1967;

(b) whether this award has been implemented by the management; and

(c) if not, the steps taken to ensure early implementation of the award?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, as per settlement dated March 15, 1967 and not March 16, 1967.

(b) Yes, to the extent it is due for implementation at this stage.

(c) Does not arise.

Vigilance Cases pending disposal

2399. Shri K. P. Singh Deo:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 6,000 vigilance cases against Central Government employees are pending disposal,

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to dispose of these cases?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) 6316 vigilance cases against Central Government employees were pending on the 17th August 1966. 622 of them related to gazetted officers and the rest to the non-gazetted staff.